संख्या-05/2019/1202/बीस-मु0रि0का0-19-05/2004

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सचिवालय प्रशासन विभाग,मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय लखनऊःदिनांक 30 अप्रैल, 2019

विषयः- मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा दिसम्बर, 2018 तक मान्य (कलेण्डर वर्ष 2018 में निर्गत) तथा 30 अप्रैल, 2019 तक मान्य (निजी प्रवेश पत्र) निर्गत किये गये प्रवेश-पत्रों की वैधता अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-04/2019/ 343/बीस-मु0रि0का0-19-05/2004, दिनांक 29.03.2019 द्वारा मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कलेण्डर वर्ष-2018 (दिसम्बर 2018 तक मान्य) के लिये निर्गत किये गये समस्त प्रकार के निजी प्रवेश पत्रों एवं वाहन प्रवेश पत्रों की वैधता अवधि 30 अप्रैल, 2019 तक बढायी गयी थी।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2019 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त् शासकीय कार्यहित में मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा कलेण्डर वर्ष-2018 (दिसम्बर 2018 तक मान्य) के लिये निर्गत किये गये समस्त प्रकार के निजी प्रवेश पत्रों एवं वाहन प्रवेश पत्रों तथा 30 अप्रैल, 2019 तक मान्य निजी प्रवेश पत्रों की वैधता अवधि 15 मई, 2019 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-05/2019/1202(1)/बीस-मु0रि0का0-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।

2- पटल कार्यालय, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मा0 उप मुख्य मंत्रीगण, मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार), मा0 राज्य मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।

4- मुख्य सचिव/मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।

5- मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य व्यवस्थाधिकारी, विधान भवन, उ0प्र0।

6- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

7- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।

8- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एवं तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0।

10- समस्त शाखा अधिष्ठान, उ0प्र0 सचिवालय।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रचना गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।